लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेज, प्रस्तावकः श्री संतोष कुमार, पिता– श्री देवशरण साव, आर/ओ– गोनवा रोड, हरनौत, चेरन, नालंदा–803110 बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 04 (कुंज) बालु घाट, मौजा– कुंज, ब्लाक– रोह, जिला–नवादा का नवादा अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांकः 22.07.2024 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, रोह, जिला– नवादा के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2549/2024, dated 04-06-2024 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर आजाद, अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांकः 22.07.2024 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, रोह, जिला–नवादा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्र यथा दौनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 20.06.2024 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा सकरी नदी ब्लॉकः 04 (कुंज) बालु घाट, मौजा– कुंज, ब्लाक– रोह, जिला–नवादा के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार उपस्थित लेसी के प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वाहनो में तीव्र ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अंकुर प्रसाद सिंह, (पूर्व मुखिया) कुंज जिलाः नवादा।	इनके द्वारा यह कहा गया कि इस घाट से बालू खनन का कार्य नहीं किया जाये, क्योंकि खनन के दौड़ान भाड़ी वाहनों के परिचालन से स्थानीय ग्रामीण रोड की क्षति हो जायेगी। पूर्व में इस घाट पर किये गये बालू खनन से भू–जल स्तर में भी कमी आ गई है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से खनन से सम्बंधित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा उपरोक्त उठाए गए बिंदुओ पर बतलाया गया कि वाहनों से बालू परिवहन के दौरान ग्रामीण सड़क की क्षति होने पर लेसी के द्वारा मरम्मति का कार्य करवाई जायेगी एवं विशेष परिस्थिति में स्थानीय लोगो को पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
2.	श्री समीर कुमार, ग्रामः कुंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा यह कहा गया कि इस घाट से बालू खनन का कार्य नहीं किया जाये, क्योंकि पूर्व में हुए बालू खनन से घाट किनारे बसे ग्रामीणों के कुछ मकानों की क्षति हो चुकी है साथ ही गाईडवॉल (जो कि नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए ताकि स्थानीय नदी किनारे बसे ग्रामीणों पर कुप्रभाव न हो) भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से सम्बंधित परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि नदी के किनारो से 15 फीट छोड़ कर ही बालू घाट का निर्माण किया गया है तथा आवंटित क्षेत्र में 7.5 मीटर चारो ओर से छोड़ कर ही खनन किया जायेगा।
3.	श्री रामकृष्ण कुमार, ग्रामः कुंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं को ही दोहराया गया कि इस घाट से बालू खनन का कार्य न हो। क्योकि पूर्व में हुए बालू खनन से घाट किनारे बसे

		ग्रामीणों के कुछ मकानों की क्षति हो चुकी है साथ ही गाईडवॉल (जो कि नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए ताकि स्थानीय नदी किनारे बसे गाँव पर कुप्रभाव न हो) भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से सम्बंधित परियोजना को स्वीकृति नही दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि नदी के किनारो से 15 फीट छोड़ कर ही बालू घाट का निर्माण किया गया है तथा आवंटित क्षेत्र में 7.5 मीटर चारो ओर से छोड़ कर ही खनन किया जायेगा।
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रामः कुंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं को ही दोहराया गया कि पूर्व में हुए बालू खनन से कुछ घर की क्षति हो गई साथ ही गाईडवॉल (जो कि नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए ताकि स्थानीय नदी किनारे बसे गाँव पर कुप्रभाव न हो) भी क्षतिग्रस्त हो गया है और पूर्व मे हुए बालू खनन से भूगर्भीय जल स्तर में कॉफी कमी आ गई है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से सम्बंधित परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि नदी के किनारो से 15 फीट छोड़ कर ही बालू घाट का निर्माण किया गया है तथा आवंटित क्षेत्र में 7.5 मीटर चारो ओर से छोड़ कर ही खनन किया जायेगा।
5.	श्री अजय सिंह, ग्रामः कुंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा विरोध किया गया कि इस घाट से बालू खनन का कार्य न हो, बालू खनन से नदी पर बना पुल जो सात पंचायत को जोड़ती है ध्वस्त हो सकती है साथ ही खनन होने से पटवन में भी दिक्कत आ सकती है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से सम्बंधित परियोजना को स्वीकृति नही दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि पुल से 1 किलोमीटर छोड़कर ही

		घाट का निर्माण किया गया है, जो कि इ.एम.जी.एस.एम 2020 के मानको का पालन करता है।
इस लोक सुनवाई में उपस्थित सभी आमजनों द्वारा एक स्वर में इस बालू घाट से सम्बन्धित खनन परियोजना का स्वीकृति नहीं दिये जाने का अनुरोध किया गया।		

उपरोक्त सभी विचारों को सम्मिलित करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा लेसी के प्रतिनिधि से उनका विचार को साझा करने को कहा गया। लेसी के प्रतिनिधि श्री विपुल गुप्ता (विवेक कुमार) के द्वारा बताया गया कि इस बालू घाट का संचालन करने के लिए ही मेरे द्वारा विहित प्रवाधानों के तहत सशुल्क आवेदन समर्पित किया गया है।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से इस बालूघाट का खनन परियोजना स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, गया

अपर समाहर्त्ता
नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेज, प्रस्तावकः श्री संतोष कुमार, पिता– श्री देवशरण साव, आर/ओ– गोनवा रोड, हरनौत, चेरन, नालंदा–803110 बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 04 (कुंज) बालु घाट, मौजा– कुंज, ब्लाक– रोह, जिला–नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 22.07.2024 को 12:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय रोह, जिला–नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चन्द्रशेखर आजाद	अध्यक्ष समाहर्ता, नवादा	[signature]
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया।	[signature] 22.7.24
3.	प्रत्यय अमन MDO, Nawada	जिला खनन कार्यालय, नवादा	Pratyay Aman 22/07/24
4.	नीतीश कुमार	Cognizance Res. India Pvt Ltd. (Env. Consultant)	Nitish Kr.
5.	ज्योतिष कुमार	Indus Mining Env. Consultancy, Patna	Jyotish Kr.
6.	रामजतन प्र0	कुंज पो०	रामजतन प्र0
7.	धर्मेन्द्र यादव	नीजपुर - पo - कुंज	धर्मेन्द्र यादव
8.	भूषण पासवान	कुंज	Bhushan Paswan
9.	Ramswarup Kumar	Kunj	Ramswarup Kumar

10.	Krishna Das.	[illegible]	Krishna Das
11.	Satyendra [illegible]	Kunj	Satyendra
12.	Ramchandra Rajwar	Kunj	Ramchandra Rajwar
13.	Vinod kumar	Kunj	[illegible]
14.	मनोज कुमार	कुंज	मनोज कुमार
15.	प्रमोद कुमार	कुंज	प्रमोद कुमार
16.	रितेश कुमार	कुंज	रितेश कुमार
17.	Brindaban	Kunj	Brindaban Kumar
18.	प्रह्लाद कुमार	महकार	Prahlad kumar
19.	गौतम कुमार	महकार	Gautam Kr
20.	सकलदेव कुमार	महकार	Sakaldev Kumar

21.	Rajesh yadav	Banshichak	Mahesh yadav
22.	राज कुमार	मदकार	राज कुमार
23.	मिथलेश यादव	मदकार	मिथलेश यादव
24.	मो० रफ्शान	कुमरामा	yaddam
25.	निलेश कुमार	सिउर	निलेश कुमार
26.	पप्पु जी	मदकार	पप्पु कुमार
27.	अर्जुन यादव	~~[illegible]~~ कुर्जी	अर्जुन यादव
28.	अनुरुप प्रसाद	करैया	[illegible]
29.	जितेन्द्र सिंह	सिउर	जितेन्द्र सिंह
30.	राकेश कुमार	मोरमा	Rakesh kumar
31.	अजय सिंह	कुंज	अजय सिंह

32.	अरविन्द प्रसाद	कुर्ज	अरविन्द प्रसाद
33.	राजेन्द्र चौधरी	कुर्ज	राजेन्द्र चौधरी
34.	सुरज सिंह	कुर्ज	सुरज सिंह
35.	राम कृष्ण कुमार	कुर्ज	राम कृष्ण कुमार
36.	कारु [illegible]	कुर्ज	कारु [illegible]
37.	शशि कान्त सिंह	कुर्ज	शशि कान्त सिंह
38.	अनिरुद्ध प्रसाद सिंह	कुर्ज	[illegible]
39.	इन्द्रजीत सिंह	कुर्ज	इन्द्रजीत सिंह
40.	समीर कुमार	कुर्ज	समीर कुमार
41.	पिन्टु सिंह	कुर्ज	पिन्टु सिंह
42.	पिन्टु भारती	बेरोजगार	पिन्टु भारती

43.	राम सेवक यादव	कुंज	Ram sewak yadav
44.	नरेश यादव	कुंज	Naresh yadav
45.	सुरेश सिंह	कुंज	सुरेश सिंह
46.	महेश यादव	कुंज	महेश यादव
47.	मुकेश यादव	कुंज	मुकेश यादव
48.	अशोक कुमार	कुंज	अशोक कुमार
49.	Pankaj kumar	Kunj	Pankaj kumar
50.	Bikash kumaR	कुंज	Bikash kumaR
51	सब्बीर आलम	कुंज	सब्बीर आलम
52.	मो० इमतियाज आलम	कुंज	मो० इमतियाज आलम
53	मो० गुलाब	कुंज	मो० गुलाब
54.	धर्मेन्द्र यादव	कुंज	धर्मेन्द्र यादव
55.	Varun kumar	कुंज	Varun kumar

उपस्थिति सूची

56.	मुनीन्द्र यादव	कुंज	मुनिन्द्रा यादव
57	अजीत कुमार	कुंज	अजीत कुमार
58	उतम कुमार	कुंज	उतम कुमार
59	मुकेश कुमार	कुंज	[illegible]
60	शैलेन्द्र कुमार	कुंज	शैलेन्द्र कुमार
61	सुनिल कुमार	कुंज	Anil kumar
62	देवनारिन्द्र	कुंज	देवनारिन्द्र
63	निरंजन प्रसाद	कुंज	निरंजन प्रसाद
64	उपेन्द्र यादव	कुंज	उपेन्द्र यादव
65	दिपु यादव	कुंज	दिपु यादव
66	मुकेश कुमार	कुंज	मुकेश कुमार
67	शंकर कुमार	कुंज	शंकर कुमार
68	शिवलाल यादव	कुंज	शिवलालयादव
69	Md. Furkan Ansari	कुंज	Md. Furkan Ansari
70	अरविन्द कुमार	कुंज	Arvind Kumar
71.	विवेक कुमार	नवादा	[illegible]

मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक श्री संतोष कुमार, पिता- श्री देवशरण साव, आर/ओ- गोनवा रोड, हरनौत, चेरन नालंदा-803110 बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 04 (कुंज) बालु घाट, मौजा- कुंज, ब्लॉक- रोह, जिला-नवादा का नवादा जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
"लोक सुनवाई"
दिनांक: 22.07.202
समय: अपराह्न 12:00 बजे
लोक सुनवाई का स्थल: प्रखड कार्यालय, रोह, जिला-नवादा
आयोजक:- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पट

"लोक-सुनवाई"

पूनम इंटरप्राइजेज,
मौजा- कुंज, ब्लॉक- रोह, जिला-नवादा
"लोक-सुनवाई"
समय: अपराह्न 12:00 बजे
का स्थल: प्रखंड कार्यालय, रोह,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई–मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री संतोष कुमार, पिता– श्री देवशरण साव, आर/ओ– गोनवा रोड, हरनौत, पेरन, नालंदा–803110 बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 04 (कुंज) बालु घाट, मौजा– कुंज, ब्लाक– रोह, जिला–नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई–मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

दिनांक:	समय	ब्लॉक का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
22.07.2024	अपराह्न 12:00 बजे	रोह, जिला–नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत कुंज	सकरी नदी ब्लॉक: 04 (कुंज)	प्रखंड कार्यालय, रोह, जिला–नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव /विचार से अवगत करायेंगे।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

PR. No.002256 (B&C) 2024-25

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।